[2021] 8 एस. सी. आर. 707

मनोज मिश्रा @ छोटकऊ

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1167 2021)

अक्टूबर 08, 2021

[एम आर शाह और ए एस बोपन्ना, न्यायमूर्ति]

दंड संहिता, 1860 - धारा 363, 366, 376-डी, 506 - अपीलार्थी अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ दोषी ठहराया गया और धारा 366,376-डी, 506 और धारा 4, पॉक्सो अधिनियम के तहत सजा सुनाई गई - अभिनिर्धारित : अभियोजक का साक्ष्य और चिकित्सा साक्ष्य बलात्कार के आरोप को स्थापित करते हैं - हालाँकि, सामूहिक बलात्कार का आरोप विश्वसनीय सबूतों के साथ स्थापित नहीं है - इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा धारा 376-डी के तहत उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई सजा को संशोधित किया गया है - अपीलार्थी को धारा 376 के तहत दोषी ठहराया गया है और उस अवधि के लिए दंडित किया गया है - विचारण न्यायालय द्वारा लगाई गई जुर्माना और चूक की सजा, अपरिवर्तित - धारा 506 के तहत दोषसिद्धि को दरकिनार कर दिया गया है - हालांकि, भारतीय दंड संहिता की धारा 363,366 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की जाती है - यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम - धारा 4 - आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018

आंशिक रूप से अपील की अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित : 1.1 जहाँ तक उस घटना के आधार पर, जिसके आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय किया गया था, विशेष रूप से अपीलार्थी के खिलाफ, अभियोजक के माता-पिता और स्वयं अभियोजक से अभियोजन पक्ष के गवाह 1 से अभियोजन पक्ष के गवाह 3 के रूप में पूछताछ की गई थी, जिन्होंने उसी के संबंध में बात की है। हालांकि शिकायत और अभियोजन पक्ष के गवाह 1 के बयान का संदर्भ दिया गया था और पहली बार में शिकायतकर्ता ने रामसरे उर्फ सिरी का नाम लिया था, यह उस परिस्थिति में था जब उसने देखा था कि अभियोजक, अर्थात उसकी बेटी घर में नहीं थी और तदनुसार संदेह पर शिकायत दर्ज की थी। यह शिकायत के अनुसार है जब पुलिस ने कार्रवाई की, अभियोजक और उक्त रामसरे

उर्फ सिरी को पुलिस ने तब बरामद किया जब वे धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अभियोजक द्वारा दर्ज किए गए बयान के अनुसार मुंबई की यात्रा कर रहे थे। उस परिस्थिति में जो प्रासंगिक होगा वह है अभियोजक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष के गवाह3 के रूप में प्रस्तुत किया गया बयान और साक्ष्य, जिसमें उससे पहले की घटनाओं और उस परिस्थिति का वर्णन किया गया था जिसने उसे उस समय रामसरे उर्फ सिरी के साथ रहने के लिए मजबूर किया था। यद्यपि अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा कुछ विसंगतियों का उल्लेख किया गया था जिस तरह से अभियोजक ने घटना का वर्णन किया था, यह तर्क देने के लिए कि उसके अपने बयान के अनुसार फूस की झोपड़ी सभी पक्षों से खुली थी और यह कार्य दिन के समय किया गया था जो संभावित नहीं हो सकता है, यह देखा गया है कि अभियोजक द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाह 3 के रूप में प्रस्तुत साक्ष्य का योग और सार अनिवार्य रूप से अपीलार्थी के साथ उसके शारीरिक संबंध के संबंध में है जिसके कारण वह गर्भवती हो गई थी और इसका खुलासा उसके परिवार के सदस्यों को तभी किया गया था जब उन्होंने उसे गर्भवती पाया था। उसने आगे कहा है कि उस स्थिति में जब उसने अपीलार्थी को उससे शादी करने पर जोर दिया था, तो उसने इनकार कर दिया था, धमकी दी थी और उसने सह-आरोपी की मदद ली थी और उसे लुभाकर और ले जाकर रामसरे उर्फ सिरी से उसकी शादी करवा दी थी। उस पृष्ठभूमि में, यह तथ्य कि अपीलार्थी का अभियोजक के साथ एक से अधिक अवसरों पर शारीरिक संबंध था और अभियोजक ने अपने माता-पिता को इसका खुलासा नहीं किया था जब यह लगभग चार महीने पहले पहली बार हुआ था, लेकिन जब उसकी गर्भावस्था का पता चला था तो उनके संज्ञान में लाया गया था, इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि क्या बनाए गए आरोप स्थापित होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियोजक ने अपने बयान में कहा है कि घटना के दिन अपीलार्थी रामसरे उर्फ सिरी, नांगोदिया आदि ने उसे पकड़ लिया था। हालांकि, इस बारे में कोई विशिष्ट संकेत नहीं है कि क्या अन्य अभियुक्त और अपीलार्थी ने अपीलार्थी के साथ यौन कृत्य किया था या संदर्भ इस संबंध में है कि उन्होंने अपीलार्थी को शिकायत की तारीख को उसे लुभाने और ले जाने में सहायता की थी ताकि उसका विवाह रामसरे उर्फ सिरी से किया जा सके। जिस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, वह यह है कि उक्त रामसरे उर्फ सिरी और नंगोदिया भाई-बहन हैं, जो रक्षाराम के बेटे हैं, जिन्हें विचारण न्यायालय ने बरी कर दिया था। अपीलार्थी द्वारा किए गए यौन हमले को आगे बढ़ाने में उनकी ओर से सामान्य इरादे को स्थापित करने के लिए, उस प्रभाव के लिए ठोस सबूत हैं। [अनुच्छेद 9,10]

1.2 यद्यपि उल्लिखित सप्ताहों की संख्या के संबंध में मामूली भिन्नता है, गर्भावस्था 20 सप्ताह से कम नहीं थी और यदि इसे पृष्ठभूमि में रखा जाता है, तो अभियोजक का बयान कि अपीलार्थी ने चार महीने पहले पहली बार उसके साथ संभोग किया था, जो एक अनुमानित संकेत है और कि वह गर्भवती हुई थी, अवधि के साथ मेल खाएगी। हालांकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दिए गए बयान और अभियोजक द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाह 3 के रूप में प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में मामूली विसंगतियां हैं,

आरोप का जोर यह रहा है कि अपीलार्थी ने उसकी इच्छा के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संपर्क किया था। ऐसी परिस्थिति में, अभियोजक का साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य बलात्कार के आरोप को स्थापित करेगा। जहाँ तक बलात्कार की घटना के लिए अपीलार्थी को जिम्मेदार ठहराया गया है, यह खुलासा नहीं करता है कि सभी अभियुक्तों ने उसके साथ बलात्कार किया था या समान इरादा था और आयोग की सहायता की थी। वास्तव में, उच्च न्यायालय द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष ही इंगित करता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित बलात्कार का आरोप अपीलार्थी के खिलाफ है और अन्य अभियुक्त ऐसे कार्य में शामिल नहीं हैं। इसके अलावा, जब उसके पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अभियोजक का पता लगाया गया तो वे सभी उसके साथ नहीं थे, बल्कि वह सिरी में केवल रामसरे के साथ पाई गई थी। इसके अलावा, जैसा कि उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी के अलावा अन्य तीन आरोपी भाई-बहन हैं और उनके पिता रक्षाराम को विचारण न्यायालय ने बरी कर दिया है। उस परिस्थिति में, सामूहिक बलात्कार का आरोप विश्वसनीय सबूतों के साथ स्थापित नहीं किया गया है। हालाँकि, यह पहले से ही नोट किया जा चुका है कि कथित बलात्कार की घटना स्थापित हो चुकी है, यह अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी ठहराने का मामला होगा। हालाँकि, विचारण न्यायालय द्वारा दी गई और उच्च न्यायालय द्वारा धारा 363,366 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत पुष्टि की गई दोषसिद्धि और उसके तहत दिए गए आदेश के अनुसार सजा में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। [अनुच्छेद 11-14]

1.3 भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप के संबंध में इस न्यायालय ने यह नहीं पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाह3 के रूप में अपने साक्ष्य में अभियोजक के अस्पष्ट कथन के अलावा कोई सहायक साक्ष्य है कि जब भी उसने उसके साथ यौन क्रिया करने का प्रयास किया था, तो जब भी उसने चिल्लाया था, तो अपीलार्थी ने उसे किसी से कुछ न कहने की धमकी दी थी अन्यथा वह उसे मार देगा। विचारण न्यायालय द्वारा लगाई गई और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई धारा 506 के तहत दोषसिद्धि और सजा स्थायी नहीं है और इसे दरकिनार किया जा सकता है। [अनुच्छेद 15]

2. यह घटना दिनांक 09.08.2013 की शिकायत पर आधारित है। इस परिस्थिति में, हालांकि यह नोट किया गया है कि धारा 376 को प्रभावी 21.04.2018 से संशोधित किया गया है, जिसमें 10 वर्ष की न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है, मामला 2013 का है और अपीलार्थी की सजा 20.05.2015 को थी। घटना संशोधन से पहले हुई है, इसलिए पूर्व-संशोधित प्रावधान पर ध्यान देना होगा। उसी में यह प्रावधान है कि बलात्कार करने वाले व्यक्ति को एक ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो सात वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगी। तत्काल मामले में, सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है कि अपीलार्थी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है और वह पांच बच्चों का पिता

भी है और सबसे बड़ा बेटा 18 वर्ष से अधिक का है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह आशंका करने का कोई कारण नहीं है कि अपीलार्थी भविष्य में इसी तरह के कृत्यों में लिप्त होगा। 7 साल की सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त निवारक होती। अपीलार्थी 20.09.2013 से अभिरक्षा में है। यदि वह स्थिति है, तो वह हिरासत में रहा है और उसने 8 साल से अधिक की सजा काट ली है, जो उसकी सजा की अवधि होगी। इस प्रकार उन्होंने जुर्माने के भुगतान को छोड़कर लगाई गई सजा पूरी कर ली है। विचारण न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने और चूक की सजा को बनाए रखा जाता है। [अनुच्छेद 16]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या. 1167/2021

आपराधिक अपील सं. 1102/2017 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ के दिनांक 14.03.2018 के निर्णय और आदेश से।

अनूप प्रकाश अवस्थी, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

परमानंद पांडे, सुश्री प्रियंका सिंह, उत्कर्ष पांडे, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

ए. एस. बोपन्ना, न्यायमूर्ति

1. अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील सं. 1102/2017 में इलाहाबाद, लखनऊ न्यायपीठ के उच्च न्यायालय द्वारा 14.03.2018 को पारित किए गए निर्णय का समर्थन कर रहा है। उक्त निर्णय के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया है और आपराधिक शिकायत संख्या 18/2014 में अतिरिक्त सत्र न्यायालय और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, बहराइच द्वारा अपीलार्थी को दिए गए दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की है। इसमें अपीलार्थी को उक्त मामले में अभियुक्त संख्या 4 के रूप में प्रस्तुत किया गया था।

2. अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सजा की ओर ले जाने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अभियोजक के पिता ने पुलिस के समक्ष दिनांक 09.08.2013 को 22:35 घंटे पूर्व लिखित रिपोर्ट दाखिल की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक रामसरे उर्फ सिरी ने 02.08.2013 को लगभग 14 वर्ष की आयु की अपनी

बेटी को लुभाया था और उसे ले गया था। उक्त शिकायत में, यह आगे आरोप लगाया गया था कि रक्षाराम, नांगोदिया और मनोज कुमार उर्फ छोटकौ अर्थात अपीलार्थी ने कथित घटना में उसके साथ सहयोग किया था। भारतीय दंड संहिता की धारा 363 और 366 के तहत अपराध संख्या 625/2013 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस को रामसरेलियास सिरी के साथ अभियोजक मिला। उसे वापस लाया गया और मेडिकल जांच कराई गई। मामले की जांच की गई और भारतीय दंड संहिता की धारा 363,366,376 और 506 (संक्षेप में ' भारतीय दंड संहिता') के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (संक्षेप में 'पॉक्सो अधिनियम') की धारा 3 और 4 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया। इसके बाद अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अभियुक्त द्वारा आरोप से इनकार करने पर मुकदमा चलाया गया। अभियोजक के पिता और मां की क्रमशः अभियोजन पक्ष के गवाह-1 और अभियोजन पक्ष के गवाह-2 के रूप में जांच की गई, जबकि अभियोजक की खुद अभियोजन पक्ष के गवाह-3 के रूप में जांच की गई। अभियोजक की चिकित्सा जांच करने वाली डॉ. राबिया सुल्तान की जांच अभियोजन पक्ष के गवाह-4 के रूप में की गई थी। एफआईआर करने वाले कांस्टेबल प्रमोद कुमार शाह से अभियोजन पक्ष के गवाह-5 और मामले की जांच करने वाले सब-इंस्पेक्टर तारा प्रसाद पांडे से अभियोजन पक्ष के गवाह-6 के रूप में पूछताछ की गई।

3. विचारण न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए कथित साक्ष्य का विश्लेषण करने के बाद, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 313 (संक्षेप में दंड प्रक्रिया संहिता') के तहत बयान दर्ज करते समय आरोपी द्वारा दिए गए इनकार को ध्यान में रखते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि आरोपी के खिलाफ कथित आरोप साबित हो गया था। तदनुसार अभियुक्तों को (i) भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत अपराध के लिए 3000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 साल के कठोर कारावास; (ii) भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के तहत अपराध के लिए 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ 5 साल के कठोर कारावास; (iii) भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डी के तहत अपराध के लिए 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 20 साल के कठोर कारावास; (iv) भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत 2,000 रुपये के जुर्माने के साथ 2 साल के कठोर कारावास और (v) पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध के लिए 7,000 रुपये के जुर्माने के साथ 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जुर्माने का भुगतान न करने के लिए डिफ़ॉल्ट सजा भी लगाई गई थी और उक्त प्रावधानों के तहत अपराध के लिए सजा को दिनांक 20.05.2015 के फैसले के माध्यम से समवर्ती रूप से चलाने का आदेश दिया गया था। उक्त निर्णय के माध्यम से अभियुक्त रक्षाराम में से एक को यह मानते हुए बरी कर दिया गया कि उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए थे।

4. अपीलार्थी ने आपराधिक अपील सं. 1102/2017 में उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त निर्णय पर आक्षेप किया था। विद्वत न्यायाधीश ने विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य को प्रस्तुत करते हुए,

जिन दलीलों का आग्रह किया गया था, उनकी पृष्ठभूमि में उनका पुनर्मूल्यांकन किया था और उस संदर्भ में, इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि अपीलार्थी ने अभियोजक द्वारा बहकाये जाने के बाद उसके साथ कई बार बलात्कार किया था। मामले के उस दृष्टिकोण में विद्वत न्यायाधीश की राय थी कि विचारण न्यायालय अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के आधार पर सही निष्कर्ष पर पहुंचा था कि अपीलार्थी अपराध करने में शामिल था। तदनुसार दोषसिद्धि और सजा के निर्णय की पुष्टि की गई। इसलिए उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होने का दावा करने वाला अपीलार्थी इस अपील में इस न्यायालय के समक्ष है।

5. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अनूप प्रकाश अवस्थी को सुना है, श्री परमानंद पांडे ने उत्तर प्रदेश राज्य के लिए स्थायी अधिवक्ता की ओर से सुना है और अपील पत्रों का अध्ययन किया है।

6. अपीलार्थी के विद्वत अधिवक्ता ने यह तर्क देते हुए कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी दोषसिद्धि को दोषी ठहराने और बरकरार रखने में त्रुटि की थी, शिकायत शुरू करने के तरीके और अभियोजक द्वारा स्वयं दिए गए विभिन्न बयानों में विरोधाभासों का उल्लेख करने का प्रयास करेगा। यह तर्क दिया जाता है कि आपराधिक कार्यवाही दिनांक 09.08.2013 की शिकायत द्वारा शुरू की गई थी जिसमें यह कहा गया है कि उसकी बेटी को धोखा दिया गया है और लुभाया गया है, इसलिए कहीं भाग गया है। जब 10.08.2013 को बयान दर्ज किया गया तो उसने आरोप लगाया कि रामसरे उर्फ सिरी ने उसकी नाबालिग बेटी को बहकाया और उसके बयान समय-समय पर बदलते रहे। यह उसका मामला है कि अभियोजक ने भी घटना की प्रकृति और उसकी उम्र के संबंध में विरोधाभासी बयान दिए हैं। इस संदर्भ में, यह तर्क दिया जाता है कि अभियोजक का अपहरण, प्रलोभन या बलात्कार किए जाने का पूरा सिद्धांत, जैसा कि सामने रखा गया है, विश्वसनीय नहीं है। यह तर्क दिया जाता है कि अभियोजक ने जिस तरीके से रामसरे उर्फ सिरी के साथ जाने की बात कही थी, उसके संबंध में भी यह केवल इंगित करता है कि यह सहमति से था और किसी भी घटना में अपीलार्थी का नाम उसके बाद ही लिया गया है जब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत बयान दर्ज किया गया था। हालांकि अभियोजन पक्ष के गवाह-3 के रूप में अपने साक्ष्य में उसने घटना के संबंध में कहा है; अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने पहली बार अपने शारीरिक संबंध के संबंध में कहा है, जो उसके द्वारा परिवार को बताया गया था, लेकिन फिर से कहा है कि उसने चार महीने की गर्भवती होने पर इसका खुलासा किया था और परिवार के सदस्यों ने उससे इसके बारे में पूछताछ की थी।

7. इसलिए विद्वत अधिवक्ता का तर्क है कि न तो उन माता-पिता का साक्ष्य, जिनसे अभियोजन पक्ष के गवाह-1 और अभियोजन पक्ष के गवाह-2 के रूप में पूछताछ की गई थी और न ही अभियोजक द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाह-3 के रूप में प्रस्तुत किया गया साक्ष्य विश्वसनीय था और विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय को ऐसे साक्ष्य पर दोषसिद्धि और सजा पारित नहीं करनी चाहिए थी। यद्यपि अभियोजन पक्ष के गवाह-4 ने अपने साक्ष्य में और चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में अभियोजक के गर्भवती होने और भ्रूण के 20-23 सप्ताह के होने के बारे में कहा है, लेकिन अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप को स्वयं स्थापित नहीं किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से, यह तर्क दिया जाता है कि भले ही अपीलार्थी के उसके साथ शारीरिक संबंधों के बारे में अभियोजक का बयान और यह कि उसने शिकायत दायर की है जब अपीलार्थी ने गर्भवती होने के बावजूद उससे शादी करने से इनकार कर दिया था, स्वीकार किया जाता है, यह केवल इंगित करता है कि यह सहमति से था और जब उसने स्वयं कहा है कि वह 20 वर्ष की थी और जब अभियोजन पक्ष के गवाह-4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में डॉक्टर ने संकेत दिया है कि उसके शरीर के विकास के कारण, भले ही उसे 16-17 वर्ष कहा गया हो, भिन्नता हो सकती है और यह सामान्य भिन्नताओं के अनुसार 17-18 वर्ष हो सकती है।ऐसी स्थिति में, शुल्क टिकाऊ नहीं होगा। अन्यथा भी, तथ्यों और परिस्थितियों में, भारतीय दंड संहिता की धारा 376-डी के तहत दोषसिद्धि उचित नहीं है और कहा कि प्रावधान को लागू नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि यह सामूहिक बलात्कार होने के योग्य नहीं है। सभी कथित कारणों के लिए, वह तर्क देता है कि निर्णय को दरकिनार किया जा सकता है।

8. उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का उल्लेख किया है। यद्यपि विभिन्न कथनों में कुछ विसंगतियां हो सकती हैं, तथापि वे विरोधाभास के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं कर सकते हैं और उस परिस्थिति में जब अभियोजन पक्ष के गवाह-1, अभियोजन पक्ष के गवाह-2 और अभियोजन पक्ष के गवाह-3 सभी ने अभियोजन पक्ष के समर्थन में घटना के संबंध में कहा है और जब यह इंगित करने के लिए कि अभियोजन पक्ष गर्भवती थी, तो आरोप स्थापित हो जाएगा। यह तर्क दिया जाता है कि ऐसी परिस्थिति में जब अभियोजक के पिता ने 14 वर्ष की आयु का संकेत दिया है और डॉक्टर ने भी लगभग 16 वर्ष की आयु का संकेत दिया है, तो सहमति से यौन संबंध का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा। इस दृष्टिकोण से उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. उपरोक्त के आलोक में, हमने विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किए गए विचार की प्रकृति पर ध्यान दिया है। जहाँ तक उस घटना के आधार पर, जिसके आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय किया गया था, विशेष रूप से अपीलार्थी के खिलाफ, अभियोजक के माता-पिता और स्वयं अभियोजक से अभियोजन पक्ष के गवाह-1 से अभियोजन पक्ष के गवाह-3 के रूप में पूछताछ की गई थी, जिन्होंने उसी के संबंध में बात की है। हालांकि शिकायत और अभियोजन पक्ष के गवाह-1 के बयान का संदर्भ दिया गया था और पहली बार में शिकायतकर्ता ने

रामसरे उर्फ सिरी का नाम लिया था, यह उस परिस्थिति में था जब उसने देखा था कि अभियोजक, आईडी उसकी बेटी घर में नहीं थी और तदनुसार संदेह पर शिकायत दर्ज की थी। यह शिकायत के अनुसार है जब पुलिस ने कार्रवाई की, अभियोजक और उक्त रामसरे उर्फ सिरी को पुलिस ने तब बरामद किया जब वे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत अभियोजक द्वारा दर्ज किए गए बयान के अनुसार मुंबई की यात्रा कर रहे थे उस परिस्थिति में जो प्रासंगिक होगा वह है अभियोजक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष के गवाह-3 के रूप में दिया गया बयान और साक्ष्य, जिसमें उससे पहले की घटनाओं और उस परिस्थिति का वर्णन किया गया था जिसने उसे उस समय रामसरे उर्फ सिरी के साथ रहने के लिए मजबूर किया था। यद्यपि अपीलार्थी के विद्वत अधिवक्ता द्वारा कुछ विसंगतियों का उल्लेख किया गया था जिस तरह से अभियोजक ने घटना का वर्णन किया था, यह तर्क देने के लिए कि उसके अपने बयान के अनुसार फूस की झोपड़ी सभी पक्षों से खुली थी और यह कार्य दिन के समय किया गया था जो संभावित नहीं हो सकता है, यह देखा गया है कि अभियोजक द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाह-3 के रूप में प्रस्तुत साक्ष्य का योग और सार अनिवार्य रूप से अपीलार्थी के साथ उसके शारीरिक संबंध के संबंध में है जिसके कारण वह गर्भवती हो गई थी और इसका खुलासा उसके परिवार के सदस्यों को तभी किया गया था जब उन्होंने उसे गर्भवती पाया था। उसने आगे कहा है कि उस स्थिति में जब उसने अपीलार्थी को उससे शादी करने पर जोर दिया था, तो उसने इनकार कर दिया था, धमकी दी थी और उसने सह-आरोपी की मदद ली थी और उसे लुभाकर और ले जाकर रामसरे उर्फ सिरी से उसकी शादी करवा दी थी।

10. उस पृष्ठभूमि में, यह तथ्य कि अपीलार्थी का अभियोजक के साथ एक से अधिक अवसरों पर शारीरिक संबंध था और अभियोजक ने अपने माता-पिता को इसका खुलासा नहीं किया था जब यह लगभग चार महीने पहले पहली बार हुआ था, लेकिन जब उसकी गर्भावस्था का पता चला था तो उनके संज्ञान में लाया गया था, इस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए कि क्या बनाए गए आरोप स्थापित होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियोजक ने अपने बयान में कहा है कि घटना के दिन अपीलार्थी, रामसरे उर्फ सिरी, नांगोदिया आदि ने उसे पकड़ लिया था। हालांकि, इस बारे में कोई विशिष्ट संकेत नहीं है कि क्या अन्य अभियुक्त और अपीलार्थी ने अपीलार्थी के साथ यौन कृत्य किया था या संदर्भ इस संबंध में है कि उन्होंने अपीलार्थी को शिकायत की तारीख को उसे लुभाने और ले जाने में सहायता की थी ताकि उसका विवाह रामसरे उर्फ सिरी से किया जा सके। जिस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, वह यह है कि उक्त रामसरे उर्फ सिरी और नंगोदिया भाई-बहन हैं, जो रक्षाराम के बेटे हैं, जिन्हें विचारण न्यायालय ने बरी कर दिया था। अपीलार्थी द्वारा किए गए यौन हमले को आगे बढ़ाने में उनकी ओर से सामान्य इरादे को स्थापित करने के लिए, उस प्रभाव के लिए ठोस सबूत हैं।

11. अभियोजन पक्ष के गवाह-2 द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाह-3 को दिए गए साक्ष्य से, विशेष रूप से अभियोजन पक्ष के गवाह-4 के साक्ष्य से यानी, अभियोजक की जांच करने वाले डॉक्टर से यह पता चलेगा कि उसने 19.08.2013 को शाम 7 बजे अभियोजक की जांच की थी। उसने कहा है कि जो पीड़ित अविवाहित थी वह पूरी तरह से बड़ी हो गई थी और आवश्यक परीक्षण करने पर यह देखा गया कि हाइमेन का टूटना पुराना था और वह अपनी गर्भावस्था में 24 सप्ताह की थी। चिकित्सा रिपोर्ट को के-2 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। पूरक रिपोर्ट दिनांक 24.08.2013 को प्रदर्शनी के-4 के रूप में चिह्नित किया गया था। जिरह में उसने अभियोजन की आयु 16 से 17 वर्ष के

रूप में संदर्भित की है।हालाँकि उन्होंने कहा है कि सामान्य भिन्नताओं के अनुसार यह 17 से 18 वर्ष हो सकता है, लेकिन उनके द्वारा इस बारे में कोई निश्चित राय नहीं दी गई है। जिरह में उसने हालांकि कहा है कि गर्भावस्था 23 सप्ताह की थी। डॉक्टर की रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि यह 23 सप्ताह का है जबकि पैथोलॉजी रिपोर्ट 20.08.2013 को 20 सप्ताह 2 दिनों के एकल जीवित भ्रूण की स्थिति बताती है। यद्यपि उल्लिखित सप्ताहों की संख्या के संबंध में मामूली भिन्नता है, गर्भावस्था 20 सप्ताह से कम नहीं थी और यदि इसे पृष्ठभूमि में रखा जाता है, तो अभियोजक का बयान कि अपीलार्थी ने चार महीने पहले पहली बार उसके साथ संभोग किया था, जो एक अनुमानित संकेत है और कि वह गर्भवती हुई थी, अवधि के साथ मेल खाएगी। हालांकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दिए गए बयान और अभियोजक द्वारा अभियोजन पक्ष के गवाह-3 के रूप में दिए गए साक्ष्य के संबंध में मामूली विसंगतियां हैं, आरोप का जोर यह रहा है कि अपीलार्थी ने उसकी इच्छा के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संपर्क किया था। ऐसी परिस्थिति में, अभियोजक का साक्ष्य और चिकित्सीय साक्ष्य बलात्कार के आरोप को स्थापित करेगा।

12. हालाँकि, हमारे विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होगा वह यह है कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी के तहत अभियुक्त के खिलाफ बनाया गया आरोप उचित होगा और क्या यह मामला सामूहिक बलात्कार का मामला होने के योग्य होगा। इस पहलू पर, अभियोजन पक्ष के गवाह-1 और अभियोजन पक्ष के गवाह-2 के साक्ष्य इसे स्थापित नहीं करते हैं। अभियोजन पक्ष के गवाह -3 अर्थात अभियोजक का साक्ष्य स्पष्ट नहीं है क्योंकि अभियोजक ने आरोप लगाया है कि जब वह अपनी छप्पर वाली झोपड़ी में बैठी थी, तो अपीलार्थी सड़क के किनारे अपना वाहन (ट्रैक्टर) खड़ा करके आया और पानी मांगा। उस समय, उसने पूछा कि उसके पिता कहाँ हैं और जब उसने बताया कि वह बाहर गया था, तो अपीलार्थी ने उसके साथ जबरदस्ती की थी। उसने आगे आरोप लगाया है कि वह चार महीने तक उसके साथ गलत काम करता रहा और वह गर्भवती हो गई। जब उसने गर्भावस्था का खुलासा किया और अपीलार्थी को उससे शादी करने के लिए कहा, तो वह नहीं माना। इसलिए, जहां तक बलात्कार की घटना के लिए अपीलार्थी को जिम्मेदार ठहराया गया है, यह खुलासा नहीं करता है कि सभी अभियुक्तों ने उसके साथ बलात्कार किया था या उनका सामान्य इरादा था और उन्होंने आयोग की सहायता की थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह उस दिन की घटना का उल्लेख करती है जिस दिन कहा गया था कि उसे सभी आरोपी ले गए थे।उस संबंध में यह कहने के अलावा कि उसे एक महिला के घर ले जाया गया था, जिसे वे आंटी कह रहे थे, और उसके स्थान पर यौन कृत्य किया गया था, यह इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई अन्य सबूत उपलब्ध नहीं है कि जांच के दौरान उस स्थान का दौरा किया गया था और जिस महिला पर सहायता करने का आरोप है, उसे या तो गिरफ्तार कर लिया गया है या उसकी जांच की गई है। यह भी स्थापित नहीं है कि उन सभी को एक साथ देखा गया था या समान इरादे से सहायता की गई थी।

13. वास्तव में, उच्च न्यायालय द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष ही इंगित करता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित बलात्कार का आरोप अपीलार्थी के खिलाफ है और अन्य अभियुक्त ऐसे कार्य में शामिल नहीं हैं। प्रासंगिक निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

> "23. अदालत के समक्ष यह भी रखा गया है कि अन्य सह-आरोपी वास्तविक भाई और उनके पिता थे, इस प्रकार घटना की सच्चाई अत्यधिक असंभव है। अन्य सह-अभियुक्तों का मुख्य सहयोग अभियोजक को लुभाने में प्रतीत होता है, लेकिन विशिष्ट बलात्कार का आरोप केवल वर्तमान अभियुक्त-अपीलार्थी के खिलाफ लगाया गया है और वह भी घटना से चार महीने पहले किसी न किसी धमकी पर। यह उसे लुभाने और राम अस्रे उर्फ सिरी से उसकी शादी कराने का कारण भी बताता है।
>
> 26. निष्कर्ष के लिए, अभियोजक द्वारा बहकाया जाने के बाद अभियुक्त अपीलार्थी द्वारा कई बार बलात्कार किया गया था और घटना से पहले भी उसके बयान की सत्यता या विश्वसनीयता संदेहहीन है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसकी गवाही की स्वीकृति को नकार सके। उदाहरण में, अभियोजक के खिलाफ कथित अपराध के होने से इनकार नहीं किया जा सकता है।
>
> 27. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, उन परिस्थितियों को समझना मुश्किल है जिनमें अभियुक्त अपीलार्थी के खिलाफ बलात्कार और प्रलोभन का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया कारण उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है।

14. इसके अलावा, जब उसके पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर अभियोजक का पता लगाया गया तो वे सभी उसके साथ नहीं थे, बल्कि वह केवल रामसरे @सिरी के साथ पाई गई। इसके अलावा, जैसा कि उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी के अलावा अन्य तीन आरोपी भाई-बहन हैं और उनके पिता रक्षाराम को विचारण न्यायालय ने बरी कर दिया है। उस परिस्थिति में, सामूहिक बलात्कार का आरोप विश्वसनीय सबूतों के साथ स्थापित नहीं किया गया है। हालाँकि, यह पहले से ही नोट किया जा चुका है कि कथित बलात्कार की घटना स्थापित हो चुकी है, यह अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी ठहराने का मामला होगा। हालांकि, विचारण न्यायालय द्वारा दी गई और उच्च न्यायालय द्वारा धारा 363, 366 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 4 के तहत पुष्टि की गई सजा और उसके तहत दिए गए आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी।

15. जहां तक भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत अपीलार्थी के खिलाफ आरोप लगाया गया है, यह देखा गया है कि अपीलार्थी के खिलाफ आरोप लगाया गया है कि आईडी, 02.08.2013 को निर्दिष्ट तिथि पर, अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता की बेटी को मारने की धमकी दी थी और इसलिए उसने वह अपराध किया था जो भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दंडनीय है। उक्त आरोप के संबंध में हम यह नहीं पाते हैं कि अभियोजन पक्ष के गवाह-3 के रूप में अपने साक्ष्य में अभियोजक के अस्पष्ट बयान के अलावा कोई सहायक सबूत है कि जब भी उसने उसके साथ यौन क्रिया करने का प्रयास किया था, तो अपीलार्थी ने उसे धमकी दी थी कि वह किसी से कुछ न कहे अन्यथा वह उसे मार देगा। घटना या जिस तरीके से खतरे को सही मायने में सामने रखा गया था, उससे संबंधित कोई अन्य बयान या सबूत नहीं है। उस दृष्टिकोण से, हमारी राय है कि विचारण न्यायालय द्वारा लगाई गई और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई धारा 506 के तहत दोषसिद्धि और सजा टिकाऊ नहीं है और इसे दरकिनार किया जा सकता है।

16. इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि अपीलार्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी ठहराए जाने के लिए उत्तरदायी है, न कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी के तहत, लगाए जाने वाले उचित दंड पर विचार करने की आवश्यकता है। यह घटना दिनांक 09.08.2013 की शिकायत पर आधारित है। इस परिस्थिति में, हालांकि यह नोट किया गया है कि धारा 376 को 21.04.2018 से न्यूनतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान करते हुए संशोधित किया गया है, मामला 2013 का है और अपीलार्थी की दोषसिद्धि 20.05.2015 को हुई थी। घटना संशोधन से पहले हुई है, इसलिए पूर्व-संशोधित प्रावधान पर ध्यान देना होगा। उसी में यह प्रावधान है कि बलात्कार के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति को एक ऐसी अवधि के लिए कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा जो सात वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगी। तत्काल मामले में, सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह इंगित करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है कि अपीलार्थी की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है और वह पांच बच्चों का पिता भी है और सबसे बड़ा बेटा 18 वर्ष से अधिक का है, ऐसा प्रतीत होता है कि यह आशंका करने का कोई कारण नहीं है कि अपीलार्थी भविष्य में इसी तरह के कृत्यों में लिप्त होगा। उस परिस्थिति में, हम यह उचित समझते हैं कि 7 वर्ष की सजा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त निवारक होती। जेल अधीक्षक, जिला जेल, बहराइच द्वारा दिनांक 05.12.2017 को जारी अभिरक्षा प्रमाण पत्र से यह पाया गया है कि अपीलार्थी 20.09.2013 से अभिरक्षा में थे। यदि वह स्थिति है, तो वह हिरासत में रहा है और उसने 8 साल से अधिक की सजा काट ली है, जो उसकी सजा की अवधि होगी।इस तरह उसने जुर्माने के भुगतान को छोड़कर हमारे द्वारा लगाई गई सजा पूरी कर ली है। विचारण न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने और चूक की सजा को बनाए रखा जाता है।

17. परिणाम में हम निम्नलिखित आदेश देते हैं:-

(i) यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 363,366 और धारा 4 के तहत दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषसिद्धि को खारिज कर दिया गया है।

(ii) भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी के तहत विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए दोषसिद्धि आदेश को संशोधित किया गया है।इसके बजाय अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषी ठहराया जाता है और उसे दी गई अवधि के लिए सजा सुनाई जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने और चूक की सजा अपरिवर्तित रहेगी।

(iii) चूंकि अभिरक्षा प्रमाण पत्र दिनांक 20.09.2013 इंगित करता है कि अपीलार्थी ने 8 वर्ष से अधिक की सजा काट ली है, इसलिए अपीलार्थी को जुर्माने के भुगतान पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है क्योंकि सभी सजाएं समवर्ती रूप से चली हैं और यदि उसे किसी अन्य मामले में हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है।

(iv) तदनुसार अपील को आंशिक रूप से अनुमति प्रदान की जाती है।

(v) लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

दिव्या पांडे अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

दिब्या कुमारी की देखरेख में, अधिवक्ता सरवजीत सिंह द्वारा अनुवादित।